न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 102/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 05 नवम्बर 2024 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16/01/2024 प्रस्तुत कर ग्राम नारेला तहसील बड़ौद स्थित की कुल भूमि **34.970** हेक्टेयर भूमि में से **28.82** हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम नारेला की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	1939	2.070	2.070
2	1941	0.740	0.740
3	1942	26.180	20.61
4	1938	4.340	3.76
5	1940	1.640	1.640
	कुल किता 5	34.970 हेक्टेयर	28.82 हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं तहसीलदार से करवायी गयी। तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। नियत समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं। प्रकरण में दिनांक 16/02/2024 से अधीक्षण यंत्री म. प्र. विद्युत वितरण कंपनी बड़ौद, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग आगर तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन म. प्र. को अभिमत हेतु सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत को ठहराव प्रस्ताव तथा हल्का पटवारी को मौका जांच मय प्रतिवेदन के पेश किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया। प्रकरण में कार्यालय सहायक यंत्री म.प्र.प.क्षे. वि. वि. कं. लिमि. बड़ौद द्वारा पत्र से अवगत कराया कि ग्राम नारेला तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1939 रकबा 2.070 हे.,1941 रकबा 0.740 हे., 1942 रकबा 26.180 हे. में से 20.61 हे., 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3.76 हे., 1940 रकबा 1.640 हे. भूमि को वृक्षारोपण हेतु स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि के द्वारा वन विभाग को आवंटित किये जाने हेतु अभिमत चाहा गया है। इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि उपरोक्तानुसार भूमि आवंटन करने में विदयुत विभाग को आपत्ती है। उक्त परिसर पर 11 के. व्ही. के 5 नं. पी.सी.सी. पोल की लाईन गुजर रही है। जो पोल 11 के. व्ही. भीमाखेडी घरेलू फिडर के हैं। अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. (भ/स) उपसभाग आगर-मालवा द्वारा पत्र क्रमाक/93/तक/2023-24 आगर दिनांक 23.02.2024 से अवगत कराया कि ग्राम नारेला तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1939 रकबा 2.070 हे., 1941 रकबा 0.740 हे., 1942 रकबा 26.180 हे. में से 20.61 हे., 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3.76 हे., 1940 रकबा 1.640 हे. भूमि यदि शासकीय है, तो विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा द्वारा आज दिनांक तक अभिमत प्रदान नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्ठिका 48 (2) () यथा आवश्यक अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से सामान्यत पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत / परामर्श लिया जाएगा, यदि तीस दिवस में भी कोई अभिमत / परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा की उन्हें कोई आपत्ती नहीं है। अतः कण्डिका अनुसार उक्त विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र आगर-मालवा वनमंडल शाजापुर म.प्र. द्वारा पत्र क्रमांक/2024/634 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 से अवगत कराया कि ग्राम नारेला तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1939 रकबा 2.070 हे., 1941 रकबा 0.740 हे., 1942 रकबा 26.180

हे. में से 20.61 हे., 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3. 76 हे. 1940 रकबा 1.640 हे. भूमि को स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि के द्वारा वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने में वन विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। ग्राम पंचायत खेडा नारेला द्वारा ठहराय प्रस्ताव क्रमांक 7 दिनांक16.09.2024 प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम नारेला तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1939 रकबा 2.070 है., 1941 रकबा 0.740 हे. ,1942 रकबा 26.180 हे. में से 20.61 है. 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3.76 है., 1940 रकबा 1.640 हे. कुल किता 5 कुल रकबा 28.82 हे भूमि को स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि. के द्वारा वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवटित किये जाने में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ती नहीं है। प्रकरण में पटवारी ग्राम नारेला के द्वारा रिपोर्ट (प्रारूप-5) में जानकारी की पूर्ति की गई। पटवारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम नारेला की गोचर भूमि का रकबा 39.28 हे. है। ग्राम की शामिल जोत का कुल रकबा 412.74 है. है जिसका 2 प्रतिशत 8.25 हे. होता है, अतः उक्त भूमि आवंटन से 2 प्रतिशत चरनोई का रकबा प्रभावित नहीं होता है। हल्का पटवारी नारेला द्वारा ग्राम नारेला तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1939 रकबा 2.070 हे., 1941 रकबा 0.740 हे. 1942 रकबा 26.180 हे. में से 20.61 हे. 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3.76 हे. 1940 रकबा 1.640 हे कुल किता 5 कुल रकबा 28.82 हे भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किया जाना उचित प्रतिवेदित किया है। प्रीमियम राशि गणना प्रपत्र अनुसार ग्राम नारेला स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1939 रकबा 2.070 है. 1941 रकबा 0.740 है. 1942 रकबा 26.180 है. से 20.61 है. 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3.76 है. 1940 हे.1.640 हे कुल किता 5 कुल रकबा 28.82 हे भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम नारेला में सिंचित भूमि 12,11,760 (अक्षरी बारह लाख ग्यारह हजार सात सौ साठ रूपये) प्रति हेक्टेयर के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के भाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 5,58,76,677/- अक्षरी (पांच करोड अडवान लाख छिहत्तर हजार छः सौ सतहत्तर रूपये) होता है। तहसीलदार बडौद द्वारा ग्राम नारेला तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1939 रकबा 2.070 है. 1941 रकबा 0.740 है. 1942 रकबा 26.180 हे. में से 20.61 है. 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3.76 हे. 1940 रकबा 1.640 हे. कुल किता 5 कुल रकबा 28.82 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम नारेला तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1939 रकबा 2.070 हे. 1941 रकबा 0.740 हे., 1942 रकबा 26.180 हे. में से 20.61 हे., 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3.76 है. 1940 रकबा 1.640 हे. कुल किता 5 कुल रकबा 34.970 हे. मे से 28.82 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम नारेला तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्र. 1939 रकबा 2.070 हे. 1941 रकबा 0.740 हे., 1942 रकबा 26.180 हे. में से 20.61 हे., 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3.76 है. 1940 रकबा 1.640 हे. कुल किता 5 कुल रकबा 28.82 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021अनुसार ग्राम नारेला तहसील बडौद स्थित कुल किता 5

कुल रकबा 34.970 हे. मे से 28.82 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 5,58,76,677/- (पांच करोड अडवान लाख छिहत्तर हजार छः सौ सतहत्तर रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी ।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा ।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा ।
5. सहायक यंत्री म.प्र.प.क्षे. वि. वि. कं. लिमि. बड़ौद द्वारा आवेदित भूमि पर पर 11 के. व्ही. के 5 नं. पी.सी.सी. पोल की लाईन गुजर रही है। जो पोल 11 के. व्ही. भीमाखेडी घरेलू फिडर के होने का उल्लेख किया गया है। आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर पूर्व से स्थापित विद्युत संरचना को नियमानुसार शिफ्टिंग किया जाना होगा तथा विद्युत विभाग से उक्त संबंध में अभिमत भी प्राप्त किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

तहसीलदार बडौद, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें। R-ling 25/11/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2024/475 आगर मालवा, दिनांक 25 /11/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. तहसीलदार बडौद, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें । R-ling 25/11/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.
कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:नारेला			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिचाई संबंधी प्राप्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612077456	1938/1 (S)		3.7600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0102/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 25/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:नारेला			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1492164235 81MQKQD8ZB6BH0	1939 (S)		2.0700 हेक्टेयर कदीम 2.0700 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0102/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 25/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:नारेला			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1492186983 81MQ75D8Z8TCH0	1940 (S)		1.6400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0102/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 25/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

specimen copy

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:नारेला			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1492210585 81MPGKD8Z8Q0H0	1941 (S)		0.7400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0102/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 25/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट